केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली – 110067.

दिनांक. 20.03.2023

संचिका सं. CICOM/R/P/23/00155

सेवा में,

श्री दिग्विजय सिंह (एडवोकेट)

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
21 MAR 2023
D. No.........
Initials.........

विषय:- सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक आपका गैरदिनांकित आर.टी.आई. आवेदन जो कि केन्द्रीय सूचना आयोग के आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में दिनांक 13.03.2023 को प्राप्त हुआ, का अवलोकन करें। आपके उक्त कम्प्यूटीराईज्ड आर.टी.आई. आवेदन में आपके हस्ताक्षर नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत केन्द्रीय सूचना आयोग केवल द्वितीय अपीलीय अधिकरण है यहाँ किसी अन्य कार्यालयों से संबंधित सूचनाएं नहीं होती हैं।

साथ ही यह भी अवगत करवाया जाता है कि आपके द्वारा मांगी गई सूचना केन्द्रीय सूचना आयोग में उपलब्ध नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत केन्द्रीय सूचना आयोग केवल द्वितीय अपीलीय अधिकरण है यहाँ किसी अन्य कार्यालयों से संबंधित सूचनाएं नहीं होती हैं। आपके आवेदन के अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि आप सूचना से संबंधित कार्यालय में वांछित सूचना हेतु आर.टी.आई. आवेदन पहले भी दाखिल कर चुके हैं। इस संदर्भ में अवगत करवाया जाता है कि यदि किसी कार्यालय द्वारा समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्रदान नहीं की जाती है अथवा प्रदान की गई सूचना से संतुष्ट न हों तो सूचना प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर उसी कार्यालय/विभाग के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी से वरीय अधिकारी जो प्रथम अपीलीय अधिकारी के रूप में पदनामित हैं, के समक्ष प्रथम अपील दाखिल किया जाना चाहिए। अगर प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा भी कोई सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जाती है या प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेश से भी आप संतुष्ट न हों तो 90 दिनों के भीतर केन्द्रीय सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील दाखिल कर सकते हैं। द्वितीय अपील आवेदन के साथ लोक प्राधिकरण से अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत किए गए पत्राचार की छायाप्रतियाँ (स्वअभिप्रमाणित) संलग्न करना आवश्यक होता है, जिनमें सूचना प्राप्ति हेतु आर.टी.आई. आवेदन, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना (यदि सूचना प्रदान की गई हो), प्रथम अपील आवेदन, प्रथम अपीलीय अधिकारी का आदेश (यदि दिया गया हो), पहचान पत्र की प्रति के साथ सभी संलग्नकों का क्रमांक (Index) सूची भी संलग्न करना आवश्यक है।

सूचना अधिकार अधिनियम के तहत प्रथम अपील एवं द्वितीय अपील दाखिल करने हेतु कोई शुल्क देय नहीं है।

यदि आप उपरोक्त सूचना से संतुष्ट नहीं है तो इस सूचना की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर प्रथम अपील श्रीमती रूप अवतार कौर, प्रथम अपीलीय अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली – 110067 को की जा सकती है।

सुबोध 20/3/23

(सुबोध कुमार)
केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी,
आर.टी.आई. सेल